आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
03/01/2022	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस०ए०आर० पुनरीक्षण वाद सं० 81/2013** **सुलेन्द्र महतो व अन्य** **बनाम्** **शीतल मुण्डा व अन्य** **आदेश** एस०ए०आर० पुनरीक्षण वाद सं० 81/2013 सुलेन्द्र महतो व अन्य के द्वारा दायर किया गया था जिसमें उपायुक्त, राँची द्वारा एस.ए.आर. अपील 01R15/2013-14 में पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। मूलतः ग्राम आरीद, थाना – बुड़मू, खाता नं0 89, प्लॉट नं 534, रकवा– 39 डि० भूमि के वापसी हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश को उपायुक्त के न्यायालय में चुनौती दी गई थी, जहां आवेदकों के अपील आवेदन को खारीज कर दिया गया था। इस वाद में आवेदकों के तरफ से अंतिम बार 04.02.2020 को हाजरी दर्ज की गई थी, उसके पूर्व भी आवेदक नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित नही रहे, जिस कारण यह वाद अभी तक अंगीकृत नही किया गया है। दिनांक 20.12.2021 को आवेदकों को अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम मौका दिया गया था। किंतु पुनः दिनांक 28.12.2021 को आवेदक अनुपस्थित रहे, अतः यह स्पष्ट होता है कि आवेदकों को इस वाद के संचालन में कोई अभिरूचि नही है। अतः उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद का निष्पादन किया जा रहा है। निम्न न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि निबंधित केवाला दिनांक 09.07.1969 के द्वारा विपक्षी के द्वारा क्रय की गई थी जिसके आधार पर उनके नाम से जमाबन्दी कायम है एवं लगान का भुगतान भी किया जाता रहा है। आवेदक प्रश्नगत भूमि को अपनी पूर्वजों की रैयती भूमि बताते है, किन्तु उन्ही के पूर्वजों द्वारा निबंधित केवाला के माध्यम से भूमि का हस्तांतरण किया जा चुका है।	

Scanned by CamScanner

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश ... गई का... बारे में ... तारीख ... साथ।
	इसी आधार पर निम्न न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किये गये है। इस न्यायालय में न्यायालय में आवेदकों के तरफ से पुनः उन्हीं तथ्यों को दुहराया गया है। निबंधित केवाला को आवेदकों के द्वारा फर्जी करार दिया गया है किंतु उक्त केवाला को रद्द करने हेतु उनके स्तर से कोई कार्रवाई नही की गई। प्रश्नगत भूमि के नामांतरण के समय भी आवेदकों के तरफ से कोई आपत्ति नही की गई। ऐसे स्थिति में आदिवासी भूमि पर आवेदक द्वारा किया गया दखल पूर्णतः अनुचित है तथा निम्न न्यायालय द्वारा इसी कारण से भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन पर विचार करने का कोई औचित्य नही है। अतः इसे खारिज किया जा सकता है। लेखापित एवं संशोधित 3/1/22 आयुक्त। 3/1/22 आयुक्त	

Digitally signed by MANOJ JAISWAL
Date: 2023.06.27 12:51:06 +05:30
Location: 10.93.72.187

Scanned by CamScanner